[2022] 18 एस. सी. आर 948

वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश

वी.

एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू और बेटों की प्रमुखताएँ

इसका प्रबंधन ट्रस्ट और ओआरएस द्वारा प्रस्तुत किया गया।

(2022 की सिविल अपील संख्या 3791)

मई 09,2022

[वाइन सरन और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

न्यास अधिनियम, 1882-प्रत्यर्थी में संस्थापक न्यासी के पद पर अपीलार्थी के दावे की वैधता-न्यास-आयोजितः जबरदस्त

अपीलार्थी द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य और उसका आयकर भी चार्टर्ड के प्रमाणन के आधार पर भारत में मूल्यांकन

एस के संदर्भ में 'निवासी' की आवश्यकता को पूरा करने वाला लेखाकार। 6 उच्च न्यायालय द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के दिनों की संख्या गिनने के बाद इसका बहुत कम महत्व माना गया है। अपीलार्थी का भारत में ठहरना और फिर यह सवाल करना कि प्रमाण पत्र में यह नहीं दिखाया गया था कि वह कितने दिनों से मद्रास में था

प्रेसीडेंसी-इसके अलावा, अपीलार्थी का भारत में संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा, जिसमें आवासीय संपत्ति शामिल है; भारत में बैंक खाते हैं; आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्य के लिए निवासी के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है, इन सभी को उच्च न्यायालय ने भारत में रहने के दिनों की संख्या की मात्र गिनती से दरकिनार कर दिया है-केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रीन कार्ड रखना निर्णायक नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान मामले में मामले की-प्रशासन की योजना की भावना के दृष्टिकोण से मामले की जांच करते समय

न्यास, संस्थापक न्यासी की शाखा के प्रतिनिधित्व की अवधारणा का सम्मान करने की आवश्यकता है और इस संबंध में, अपीलार्थी जैसे वंशज के दावे को भारत में रहने के दिनों की संख्या की मात्र गिनती से हल्के में नहीं हटाया जा सकता है, जबकि अन्य सभी विशेषताओं और कारकों की अनदेखी करते हुए जो भारत में रहने के उनके विकल्प को दर्शाते हैं, ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य का सही विश्लेषण किया और अपीलार्थी के दावे को बरकरार रखने में एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचा। प्रत्यर्थी में संस्थापक न्यासी का पद-'पीएसजीएनएन' की शाखा के प्रतिनिधि के रूप में न्यास-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को बहाल किया गया-इस प्रकार,

उत्तरदाता नं। 10 न्यास में रद्द कर दिया गया है-अपीलार्थी हकदार है

948 वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू और बेटों की प्रमुखताएँ

'पीएसजीएनएन' शाखा आयकर अधिनियम, 1961 का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक न्यासी का पद धारण करना - एस. 6-एस्टोपेल-रेस जुडिकाटा का सिद्धांत। कार्य और दस्तावेज-निर्माण के नियम-प्रशासन की योजना (एस. ओ. ए.) की शर्तों का निर्माण

प्रत्यर्थी-वर्तमान मामले के तथ्यों पर विश्वास और उनका आवेदन (विशेष रूप से वादी-अपीलार्थी के निवास/निवास के संबंध में) चर्चा-कानूनों की व्याख्या।

शब्द और वाक्यांश 'रहते हैं'-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

1.1 ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत कोण से मामले का रुख किया है और प्रासंगिक कारकों और भौतिक विचारों की अनदेखी करते हुए अप्रासंगिक विचारों पर आगे बढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रशासन की योजना में ट्रस्टीशिप के लिए योग्यता में आवासीय आवश्यकता को सख्त भौतिक उपस्थिति के रूप में उठाया है।

संदर्भ को समझाएँ और उद्देश्य को समझाएँ। भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के रूप में वादी-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भारी साक्ष्य और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के संदर्भ में 'निवासी' की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणन के आधार पर भारत में उनके आयकर आकलन को उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के भारत में रहने के दिनों की संख्या को गिनने और फिर यह सवाल करने के बाद कि प्रमाण पत्र यह नहीं दिखा रहे थे कि वह कितने दिनों से मद्रास प्रेसीडेंसी में थे, कम मूल्यवान माना गया है। उस संबंध में भी, उच्च न्यायालय ने यद्यपि श्रीमती जागीर कौर में निर्णय का उल्लेख किया, लेकिन उसमें अनुपात पर ध्यान देने में विफल रहा। अपीलार्थी के भारत में संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे, जिसमें आवासीय संपत्ति भी शामिल है; जिनके भारत में बैंक खाते हैं; आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्य के लिए निवासी के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है, इन सभी को उच्च न्यायालय ने भारत में रहने के दिनों की मात्र गिनती द्वारा दरकिनार कर दिया है। यह न्यायालय इस दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ है। [पारस 23 और 24] [980

ए-ई]

श्रीमती जागीर कौर और अन्र। वी. जसवंत सिंह [1964] 2 एससीआर

73- संदर्भित किया गया।

1.2 विवादित फैसले के पैराग्राफ 21 में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि [2022] 18 एस. सी. आर. निर्धारित करने वाले प्रावधानों की भावना।

योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। इस संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय पहली जगह में न्यास के गठन की भावना और इसकी प्रशासन योजना के मूल सिद्धांतों से चूक गया है। जैसा कि देखा गया है, ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1926 में श्री पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू के बेटों द्वारा की गई थी और ट्रस्ट का नाम वास्तव में "मेसर्स" रखा गया था। पी. एस. गोविंदस्वामी एंड संस चैरिटी। प्रशासन की योजना में, नौ न्यासियों की परिकल्पना करते हुए, विशेष रूप से श्री पी. एस. के चार पुत्रों के लिए प्रावधान किया गया था।

गोविंदस्वामी संस्थापक न्यासी के रूप में। संस्थापक न्यासी के कार्यालय को विरासत में मिलने योग्य बनाया गया है।

प्रत्येक संस्थापक न्यासी की पंक्ति में वंशानुगत न्यासी। 01.01.1994 तक, अपीलार्थी के पिता श्री जी. एन. वेंकटपति

नारायणस्वामी नायडू जिनकी वर्ष 1938 में मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनके पुत्र श्री जी. एन. ने ली। वेंकटपति, यह देखा गया है कि श्री जी. एन. वेंकटपति की मृत्यु के बाद, उनके भाई श्री वी. राजन को इस शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्थापक न्यासी के रूप में लिया गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, आंतरिक विवाद थे, जो श्री वी. राजन के इस्तीफे के बाद सामने आए और जिसके कारण मुकदमेबाजी हुई और श्री नरेन राजन की नियुक्ति हुई और बाद में श्री वी. राजन को फिर से संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि श्री नरेन राजन की मृत्यु के साथ 21.05.2015 और श्री वी. राजन की मृत्यु के साथ, यह केवल अपीलकर्ता है जो श्री पी. एस. जी. की शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पुरुष वंशज है। नारायणस्वामी नायडू। न्यास प्रशासन योजना की भावना को देखते हुए, यह योजना का ही उपहास होगा यदि अपीलार्थी की उपस्थिति में, संस्थापक न्यासी की इस शाखा का प्रतिनिधित्व रद्द कर दिया जाता है या पद किसी और को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बेशक, यह तब हो सकता है जब यह संदेह से परे स्थापित हो जाए कि अपीलार्थी ने एक या अधिक अयोग्यताएं वहन की हैं। इस मुकदमे में, वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम के अलावा अपीलार्थी के खिलाफ प्रत्यर्थियों द्वारा कोई अन्य अयोग्यता का आरोप नहीं लगाया गया है।

एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू और बेटों की प्रमुखताएँ

मद्रास प्रेसीडेंसी में निवास की उनकी इच्छा। यह है सुझाव

अपीलार्थी द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके और विशिष्ट दावे के साथ कि वह 2010 से भारत में रह रहा था, प्रभावी रूप से खारिज कर दिया गया। प्रशासन की योजना की भावना के दृष्टिकोण से मामले की जांच करते समय, संस्थापक न्यासी की शाखा के प्रतिनिधित्व की अवधारणा का सम्मान करने की आवश्यकता है और इस संबंध में, अपीलार्थी जैसे वंशज के दावे को भारत में रहने के दिनों की मात्र गिनती से हल्के से दरकिनार नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य सभी विशेषताओं और कारकों की अनदेखी की जा सकती है जो भारत में रहने के उनके विकल्प को दर्शाते हैं। [पैरा 25 और 25.1] [980-ई-एच; 981-ए-एफ]

1.3 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा श्रीमती जागीर कौर में कहा गया है, अंततः, प्रत्येक मामले में निवास का प्रश्न तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन

'लाइव' शब्द का अर्थ आमतौर पर उड़ान यात्रा या आकस्मिक प्रवास से कुछ अधिक होता है। अपीलार्थी जो भारत में संपत्ति और बैंक खाते रखने के अलावा लगातार भारत में रहा हो।

और आधार कार्ड रखने वाले को कम से कम आकस्मिक रूप से या पारगमन पर्यटक के रूप में भारत आने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। द हाई अदालत ने एक सवाल उठाया है कि प्रमाणपत्र इस बात का खुलासा नहीं करते हैं कि

सात वर्षों में 979 दिनों में से कितने दिन अपीलार्थी मद्रास प्रेसीडेंसी में था? पुनः, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण हमारी सराहना नहीं करता है। यह नहीं दिखाया गया है कि क्या अपीलार्थी विचाराधीन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था ताकि न्यास के प्रशासन और प्रबंधन में प्रभावी ढंग से भाग ले सके। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रीन कार्ड धारण करना

उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ फिर से इसके अनुरूप नहीं हैं दस्तावेज़ के निर्माण के सिद्धांत। [पारस 25.2-27] [981 F-H; 982-A-C]

1.4 यदि शाब्दिक निर्माण के नियम को शाब्दिक रूप से लागू किया जाता है,

"मद्रास प्रेसीडेंसी" के भीतर रहने के बारे में प्रश्नगत शब्द को स्वयं इस सरल कारण से निरर्थक माना जाएगा कि भौगोलिक या जनसांख्यिकीय रूप से, आज तक ऐसा कोई स्थान मौजूद नहीं है जिसे "मद्रास प्रेसीडेंसी" कहा जा सके। जाहिर है, इस तरह का दृष्टिकोण गलत होगा और [2022] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 1926 में दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करने और वर्ष 1936 में प्रशासन की योजना तैयार करने के समय जिस क्षेत्र को "मद्रास प्रेसीडेंसी" के रूप में जाना जाता था, उस पर ध्यान दिया जाएगा और जो भी क्षेत्र अब उक्त पूर्ववर्ती "मद्रास प्रेसीडेंसी" क्षेत्र के लिए संदर्भित है, वह प्रासंगिक होगा और निवास उक्त क्षेत्र के संदर्भ में होना चाहिए। वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक बिंदु यह है कि "मद्रास प्रेसीडेंसी" अभिव्यक्ति

इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जा रहा है और इसका अर्थ इसके वर्तमान अर्थ के संदर्भ में लगाया गया है। उपरोक्त से संकेत लेते हुए, जब क्रिया "लाइव" को दस्तावेज़ के उद्देश्य के संदर्भ में इसके अर्थ और तात्पर्य को समझने के लिए लिया जाता है, तो इसके वर्तमान अर्थ और अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेशक, अगर किसी व्यक्ति ने अपना निवास छोड़ दिया है और है

किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित होने पर, उसकी शर्त को पूरा करने के बारे में सवाल उठ सकता है, लेकिन साथ ही, "रहता है" अभिव्यक्ति को शाब्दिक अर्थ नहीं दिया जा सकता है जैसे कि वादी-अपीलार्थी जैसे व्यक्ति के पास निवास के कई स्थान हैं, यदि किसी विशेष स्थान पर स्थायी रूप से स्थित नहीं है, तो विचाराधीन विलेख के उद्देश्य के लिए अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं देते हुए, विशेष रूप से एस. ओ. ए. की शर्तों के निर्माण के संबंध में, थोड़ा आगे देखा जा सकता है। कर्मों या कानूनों में शब्द और अभिव्यक्तियाँ अधिमानतः उनके प्रासंगिक और प्रासंगिक प्रदान किए जाते हैं। समकालीन अर्थ। निर्माण की इस प्रक्रिया में, शब्दों और अभिव्यक्तियों को जीवाश्म अवशेषों के रूप में नहीं देखा जाता है; बल्कि वे जैविक चरित्र को बनाए रखते हैं और सभी परिवेश से अपना अर्थ लेते हैं। उस मामले के लिए, "रहता है" जैसे एक विशेष शब्द के संदर्भ में कई अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं

इसकी व्याख्या का समय या अवधि; और अर्थ लगभग 100 साल पहले समझे गए अर्थों से अलग हो सकते हैं। जब किसी दस्तावेज़ में किसी विशेष शब्द या अभिव्यक्ति को संचालित और लागू किया जाना है, तो प्रेजेंटी में उपलब्ध सभी प्रासंगिक विशेषताओं को एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण दस्तावेज़ के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। निर्माण। बेशक, उस अर्थ को वास्तविक इरादे और उद्देश्य के लिए हिंसा नहीं करना चाहिए। हाथ में सवाल एक विशेष अभिव्यक्ति को एक तार्किक, प्रासंगिक और समकालीन अर्थ निर्धारित करने का है। दस्तावेज़ की अवधि को बदलना एक बात है और

किसी विशेष अभिव्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण अर्थ निर्धारित करने की प्रक्रिया के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम के सही नियमों में। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू और बेटों की प्रमुखताएँ

निर्माण, शब्दों को हमेशा वह अर्थ सौंपा जाता है जो उनके संदर्भ के साथ मिलकर खड़ा होता है, जबकि यह आश्वासन देते हुए कि निर्दिष्ट अर्थ उद्देश्य को पूरा करता है। संचार और परिवहन के साधनों की तेजी से प्रगति के साथ भौतिक निवास की आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब विचाराधीन दस्तावेज़ में 'निवास' शब्द का उद्देश्य ट्रस्ट के मामलों में प्रभावी ढंग से भागीदारी सुनिश्चित करना है, जब भी आवश्यकता हो। निचली अदालत का इरादा अपनी टिप्पणियों में केवल इतना ही था कि वर्तमान समय को देखते हुए प्रगति, निवास का शाब्दिक अर्थ, हर दिन और हर पल वास्तविक भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता सही नहीं है। विचारण न्यायालय के विचारों और निष्कर्षों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है। [पैरा 27.1-29.1] [982-सी-एच; 983-ए-एफ; 984-ए-बी]

प्रवर्तन निदेशालय बनाम। दीपक महाजन (1994)

3 एससीसी 440: [1994] 1 एस. सी. आर. 445-संदर्भित।

1.5 प्रथम दृष्टया, विरोध का सिद्धांत प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। वादी-अपीलार्थी माँग करता है

अनिवार्य रूप से इस तथ्य के संदर्भ में विरोध के सिद्धांत का आह्वान करना कि 2012 के ओ. एस. संख्या 631 में दिनांकित आई. डी. 1 के निर्णय के बाद, उन्हें सर्वसम्मति से आई. डी. 2 पर संस्थापक न्यासी के रूप में चुना गया था। निरंतर संस्थापक न्यासियों का अपीलार्थी को अपनी शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल करने का उक्त निर्णय अनिवार्य रूप से निचली अदालत के आदेश के अनुसार था, लेकिन अंततः निचली अदालत का निर्णय खुद को कायम नहीं रख सका और उच्च न्यायालय द्वारा 2013 के ए. एस. संख्या 178 में अपने निर्णय में इसे उलट दिया गया। उस स्थिति में, संस्थापक न्यासियों का 18.04.2013 पर अपीलार्थी को शामिल करने का उक्त निर्णय उनके खिलाफ अवरोध के रूप में काम नहीं कर सकता था। हालांकि, प्रथम दृष्टया, जो रोक के सवाल पर लागू होता है, वह सीधे तौर पर न्यायपालिका के सवाल पर लागू नहीं होगा। श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक न्यासी के पद पर प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की पात्रता एक जन्मजात मामला था और 2013 के ए. एस. संख्या 178 में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ था। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के निर्णय में स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की योग्यता के बारे में कोई विवाद नहीं था जिसमें वर्तमान अपीलार्थी को उक्त मामले में 10 वें प्रतिवादी के रूप में उनकी क्षमता में शामिल किया गया था। वर्तमान प्रतियोगी उत्तरदाता [2022] 18 एस. सी. आर.

वास्तव में वे उक्त कार्यवाही के पक्षकार थे और विशेष रूप से न्यास इसमें एक पक्षकार था और इसका विधिवत प्रतिनिधित्व प्रबंध न्यासी द्वारा किया जाता था। जब योग्यता या अयोग्यता का सवाल उठाया जा सकता था और वर्तमान चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं द्वारा नहीं उठाया गया था, तो यह कहना मुश्किल है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के संदर्भ में न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत और किसी भी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। हालाँकि, इन पहलुओं को इस कारण से विस्तृत नहीं किया जा रहा है कि वर्तमान वाद में, वादी-अपीलार्थी ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि वह

वास्तव में योग्य था और कथित से पीड़ित नहीं था

अयोग्यता। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर रहता है। निचली अदालत ने सही विश्लेषण किया था

अभिलेख पर साक्ष्य और एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचे

प्रत्यर्थी में संस्थापक न्यासी के पद पर अपीलार्थी के दावे को बरकरार रखते हुए-श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू की शाखा के प्रतिनिधि के रूप में न्यास। विवादित निर्णय और दिनांकित 04.03.2021 आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है; और दिनांकित 12.10.2020 के ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया जाता है। नतीजतन, न्यास में प्रत्यर्थी संख्या 10 की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और अपीलार्थी पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक न्यासी का पद धारण करने का हकदार होगा। निष्कर्षों और निष्कर्षों के एक आवश्यक परिणाम के रूप में, दावा

2021 के आई. ए. सं. 80383 के आवेदक को निरर्थक बना दिया गया है। वह आवेदन भी खारिज कर दिया जाता है। [पारस 32.1-34] [984-E-H; 985-A-F]

योगेश भारद्वाज बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। (1990) 3 एस. सी. सी. 355 [1990] 2 एस. सी. आर. 666, इंदर सिंह अहलूवालिया बनाम। प्रेम चंद जैन और अन्य। 1993 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12; मखीजा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। (पी) लिमिटेड बनाम। इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य। : (2005) 6 एस. सी. सी. 304-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1990] 2 एससीआर 666

पै

रा 18.3

संदर्भित किया गया है

[1964] 2 एससीआर 73

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[1994] 1 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.3791

2022 .

वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू और बेटों की प्रमुखताएँ

उच्च न्यायालय के 04.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के ए. एस. No.978 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

श्रीमती वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विद्याशंकर, बी. रघुनाथ, श्रीमती एन.

सी. कविता, श्रीमती आयुषमा अवस्थी, श्रीराम पी., अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

वी. गिरि, एम. एन. राव, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री.

सुवेनी, एस. थानंजयन, सुश्री प्रोमिला, सुश्री जसवंती अनबुसेल्वन, सुश्री आइना वर्मा, अनूप प्रकाश अवस्थी, पी. आर. रामकृष्णन, एम. एस. विष्णु शंकर, बीजू रमन, आई. अबरार मोहम्मद। अब्दुल्ला, बी. करुणाकरन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

सामग्री की तालिका *

प्रारंभिक

2

प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स और पृष्ठभूमि...

मुकदमेबाजी और प्रासंगिक घटनाओं का पहला दौर। मुकदमेबाजी और प्रासंगिक घटनाओं का दूसरा दौर। 11

इससे पहले मुकदमेबाजी और विषय-वस्तु का तीसरा दौर

अदालत।

14

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

19

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

22

. ... 27

अन्य दावेदार प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

28

अपीलार्थी के दावे को मुकदमे द्वारा सही ढंग से स्वीकार किया गया अदालत

32

रेस जुडिकाटा और एस्टोपेल के प्रश्न। 38

41

निष्कर्ष..

प्रारंभिक छुट्टी दे दी गई।

2. घोषणा के लिए वाद के वादी द्वारा यह अपील और

निषेधाज्ञा, दिनांक 04.03.2021 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जैसा कि मद्रास 1 में उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के अपील सूट संख्या 978 में पारित किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों (प्रतिवादी संख्या 978) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। 1 से 8 यहाँ) और सेट किया है

1 संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय'। * एड। ध्यान दें: विषय-सूची में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2018 के मूल वाद संख्या 160 में प्रधान जिला न्यायाधीश, कोयम्बटूर 2 द्वारा पारित 12.10.2020 दिनांकित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया।

2.1 उपरोक्त वाद में, वादी-अपीलार्थी ने इस घोषणा से राहत मांगी कि वह इसके संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।

सार्वजनिक न्यास मेसर्स। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज (प्रतिवादी संख्या 1 इसमें) 3 अपनी प्रशासन योजना के अनुसार, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई शाखा के जीवित पुरुष वंशज होने के लिए

दिवंगत पिता। वादी-अपीलार्थी के दावे का मुकाबला करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा इस तथ्य के संदर्भ में विरोध किया गया था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रीन कार्ड धारक था और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था

प्रशासन की योजना द्वारा परिकल्पित 'मद्रास प्रेसीडेंसी के क्षेत्र के भीतर रहने' के लिए। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी-अपीलार्थी वास्तव में विचाराधीन क्षेत्र का निवासी था और इसके लिए विधिवत योग्य था -

प्रत्यर्थी के संस्थापक न्यासी का पद धारण करें-न्यास। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के संदर्भ में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया कि वादी-अपीलार्थी के पास लगातार ग्रीन कार्ड था और उसने अतीत में आधे से भी कम समय भारत में रहे; और भारत में स्थायी रूप से रहने के उनके इरादे के दावे का खंडन किया गया था

अभिलेख पर साक्ष्य। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले और फरमान को दरकिनार कर दिया।

3. हालाँकि प्रतिवादी को नियंत्रित करने वाली एस. ओ. ए. की प्रासंगिक शर्तों के निर्माण के संबंध में एक स्पष्ट रूप से सीधा सवाल है।

न्यास और वर्तमान मामले के तथ्यों पर उनका आवेदन (विशेष रूप से वादी-अपीलार्थी के निवास/निवास के संबंध में) मामले में शामिल है, लेकिन प्रत्यर्थी-न्यास में संस्थापक न्यासी की स्थिति मुकदमेबाजी और विवादों के विभिन्न दौरों से गुजरी है, जिनमें से कुछ का वर्तमान मामले में अपना प्रभाव है। इस प्रकार, पृष्ठभूमि पहलुओं का कुछ लंबा संदर्भ आवश्यक होगा।

प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स और पृष्ठभूमि

प्रत्यर्थी-न्यास और उसके घटक

4. सबसे पहले, प्रतिवादी-ट्रस्ट और उसके घटकों से संबंधित मुख्य विशेषताओं को समझना सार्थक होगा।

2 संक्षेप में, 'द ट्रायल कोर्ट'। 3 इसके बाद 'न्यास'/'प्रत्यर्थी-न्यास' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 4 संक्षेप में, 'एस. ओ. ए.'।

वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ट्रस्टीज, बशर्ते कि 9 सदस्यों से बना एक न्यासी मंडल होगा, जिसमें से उपरोक्त चार व्यक्तियों को 'संस्थापक न्यासी' के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि बाकी को 'निर्वाचित न्यासी' के रूप में संदर्भित किया गया था। यह भी प्रावधान किया गया था कि संस्थापक न्यासियों में से एक 'प्रबंध न्यासी' होगा। यह भी प्रावधान किया गया था कि एक संस्थापक न्यासी जीवन भर के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। निर्वाचित न्यासियों के कार्यकाल के संबंध में अन्य प्रावधान वर्तमान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। उद्देश्य।

4.3 . एस. ओ. ए. में प्रासंगिक प्रावधान, जो वर्तमान मामले में बहस का विषय है, खंड के शुरुआती भाग में निहित है।

((ख) अध्याय IV का, ट्रस्टीशिप के लिए योग्यता के संबंध में, और निम्नानुसार हैः -

" के लिए गुणवत्ता और विसंगति

विश्वास (ए) के लिए योग्यताएँ

विश्वास की भावना

कोई भी व्यक्ति न्यासी के रूप में निर्वाचित या पद धारण नहीं करेगा जब तक कि -

((i) वह हिंदू है।

((ii) वह मद्रास प्रेसीडेंसी में रहता है और

((iii) उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं है।

4.4 . रिक्तियों और रिक्तियों को भरने से संबंधित प्रावधान, विशेष रूप से संस्थापक न्यासियों के संबंध में, खंड (सी) में देखे जा सकते हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. ओ. ए. का खंड (डी) (1), जिसे तैयार होने के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

नीचे के रूप में: -

" ((ग) रिक्तियां:

1) जब भी कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो प्रबंध न्यासी या कोई अन्य न्यासी ऐसी रिक्ति के तथ्य से अवगत होने पर

बोर्ड की अगली मासिक बैठक में इसे बोर्ड के ध्यान में लाएं। इसके बाद दो महीने के भीतर रिक्तियों को भरा जाएगा।

2. जब भी कोई न्यासी अपने पद पर बने रहने के दौरान पद धारण करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ नहीं रखता है।

न्यासी का या न्यासी का पद धारण करने के लिए अयोग्य होने पर, प्रबंध न्यासी या कोई अन्य न्यासी इस तथ्य से अवगत होने पर संबंधित न्यासी को सूचना देने के बाद बोर्ड और बोर्ड के ध्यान में लाएगा और ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक हो, घोषणा करेगा कि ऐसी घोषणा के आधार बताते हुए एक रिक्ति हुई है और उसके बाद एक न्यासी का चुनाव करेगा।

इसमें निहित प्रावधानों के तहत उसका स्थान।

3. जब भी कोई न्यासी घोर उपेक्षा और कर्तव्य के उल्लंघन के विश्वास के उल्लंघन का दोषी होता है, तो बोर्ड के पास संबंधित न्यासी को आरोप की उचित और उचित सूचना के बाद और उसके बाद शक्ति होगी।

उसे अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने का मौका देना।

मामले की जाँच करें और जाँच के बाद अपने निष्कर्षों के कारण बताते हुए उक्त आरोपों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करें। यदि यह पाया जाता है कि कम से कम छह के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, जिसमें से दो संस्थापक न्यासी होंगे, वह विश्वासघात या घोर उपेक्षा और शुल्क के उल्लंघन का दोषी है, जिसमें आरोपों को नुकसान या क्षति शामिल है, तो ऐसा निष्कर्ष दर्ज होने पर, संबंधित न्यासी खाली हो जाएगा और माना जाएगा कि उसने न्यासी के रूप में अपना पद खाली कर दिया है। जिस न्यासी को हटाया जाना है वह तुरंत चला जाएगा। न तो न्यास और न ही बोर्ड और न ही न्यासियों में से कोई भी इन प्रावधानों के अनुसरण में किए गए कार्यों के संबंध में किसी न्यासी या न्यासी के प्रति उत्तरदायी होगा और न्यासी के पद के लिए निर्वाचित किसी भी व्यक्ति को न्यास और उसके प्रत्येक सह-न्यासी के साथ बोर्ड या किसी न्यासी द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कार्रवाई के सभी अधिकारों को माफ करने के लिए अनुबंध करने वाला माना जाएगा। की ओर से।

PRAKASH @G. N. V. PRAKASH v. एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

न्यासी का भाग और बोर्ड या प्रबंध न्यासी को इसकी अधिसूचना। 5. बोर्ड का कोई भी सदस्य जो लगातार पांच बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, वह इसका सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालय में फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) रिक्तियों को पूरा करनाः (1) संस्थापक न्यासी

(क) जब भी किसी संस्थापक के कार्यालय में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है।

न्यासी, मूल संस्थापक न्यासी के पुरुष वंश में एक वयस्क पुरुष वंशज, यदि इसमें निहित नियमों के अनुसार मौजूद और सक्षम है, तो उस कार्यालय में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(ख) यदि ऐसी पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति है और वह कार्य करने के लिए तैयार है तो उसे न्यासी मंडल द्वारा न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तथापि, यदि ऐसे व्यक्ति को न्यासी के लिए आवश्यक योग्यता न होने के कारण या न्यासी के लिए अयोग्य ठहराए जाने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका तो शेष संस्थापक। न्यासी रिक्त स्थान को उसी तरह से भरने के लिए आगे बढ़ेंगे जैसे कि ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था; लेकिन कार्यालय में इस तरह से नियुक्त व्यक्ति

न्यासी के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। (ग) यदि ऐसी पंक्ति में एक से अधिक लोग हैं जो इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार पद धारण करने के लिए सक्षम हैं, तो वे अपने बीच से चुनेंगे और इस प्रकार चुने गए व्यक्ति को उस स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। अगर उनके बीच असहमति है

तब बहुमत की राय प्रबल होगी। यदि उनमें से किसी एक के चयन में सहमति देने वाला ऐसा कोई बहुमत नहीं है या यदि वे ऐसी रिक्ति के छह सप्ताह के भीतर अपने बीच से किसी एक का चयन नहीं करते हैं तो शेष संस्थापक न्यासी या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से ऐसे प्रतियोगियों में से एक का चयन करेंगे और इस तरह से चुने गए व्यक्ति को रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति जो एक संस्थापक न्यासी का पद धारण करने के लिए सक्षम है, जिसने हालांकि पद स्वीकार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है, उसे अपने अधिकारों को फिर से सामने रखने से रोका जाएगा, लेकिन अपनी पंक्ति में एक संस्थापक न्यासी के चयन में अपने वोट का प्रयोग करने का उसका अधिकार अप्रभावित रहेगा।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ङ) यदि किसी भी समय इन नियमों के तहत पद धारण करने के लिए सक्षम संस्थापक न्यासियों में से किसी की पंक्ति में कोई व्यक्ति होगा, तो उसके उत्तराधिकार के अधिकार उसके होंगे और वह संस्थापक न्यासी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, इसके बावजूद कि उस पंक्ति में सक्षम और इच्छुक व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण शेष संस्थापक न्यासी ने एक व्यक्ति का चयन किया। दूसरी पंक्तियाँ "।

5. प्रशासन की उपरोक्त योजना के अनुसार, न्यास अपने कार्यों का संचालन कर रहा था, लेकिन वर्ष 1938 में, संस्थापक न्यासियों में से एक श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू का निधन हो गया, जो अपने पीछे दो बेटे छोड़ गए।

श्री जी. एन. वेंकटपति और श्री वी. राजन।

5.1 . श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू के निधन के बाद, उनके

पुत्र श्री जी. एन. वेंकटपति (अपीलार्थी के पिता) ने प्रत्यर्थी-ट्रस्ट में संस्थापक न्यासी का पद धारण किया जब तक कि 01.01.1994 पर उनकी मृत्यु नहीं हो गई। इसके बाद, उनके भाई श्री वी. राजन श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू की शाखा का प्रतिनिधित्व करते हुए संस्थापक न्यासी बने और इस पद पर तब तक रहे जब उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे श्री नरेन राजन को संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त किया। श्री वी. राजन के इस कृत्य ने विवाद को जन्म दिया और यह

आरोप लगाया गया था कि इस्तीफे के परिणामस्वरूप, उन्होंने अपना अधिकार खो दिया था

उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई शाखा के वंशानुगत न्यासी की चयन प्रक्रिया में नामित करें या मतदान करें। यह श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू की शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक न्यासी के कार्यालय के इर्द-गिर्द घूमते तीन दौर के मुकदमों की उत्पत्ति थी।

मुकदमेबाजी और प्रासंगिक घटनाओं का पहला दौर

6. श्री वी. राजन के संस्थापक न्यासी के पद से इस्तीफे के बाद नामित करने या मतदान करने के अधिकारों के बारे में विवाद 2012 के ओ. एस. संख्या 631 में उनके और उनके बेटे श्री नरेन राजन द्वारा न्यास, न्यासियों और वर्तमान अपीलकर्ता श्री वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश, जो संस्थापक वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम के रूप में श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू के परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संभावित उम्मीदवार भी थे, के खिलाफ दायर किया गया विषय बन गया।

एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

6.2 . हालाँकि, अपील में, 2013 का ए. एस. संख्या 178 होने के कारण, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा कहा कि हालांकि श्री वी. राजन ने संस्थापक न्यासी के पद के लिए चुनाव लड़ने का अपना अधिकार खो दिया था, लेकिन उनका मतदान करने का अधिकार बरकरार रहा और एक बार जब उन्हें मतदान करने का ऐसा अधिकार मिल गया, तो श्री नरेन राजन की नियुक्ति को उनके वोट के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपील पर विचार के दौरान, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि श्री नरेन राजन और श्री वी. प्रकाश (वर्तमान अपीलार्थी) दोनों संस्थापक न्यासी के पद के लिए विचार किए जाने के योग्य थे और यह भी स्वीकार किया गया कि उन्हें इस संबंध में कोई अयोग्यता नहीं हुई थी। अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे के प्रतिवादी 1 से 9 को दूसरे वादी, श्री नरेन राजन को संस्थापक न्यासियों में से एक के रूप में नियुक्त करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की। 6.2. 1 . वर्तमान अपीलार्थी (विचाराधीन वाद में 10 वें प्रतिवादी) के पक्षकारों के रुख से संबंधित कुछ पहलुओं को आवश्यक विवरणों में देखा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इसके लिए बिंदु तैयार किए

निम्नलिखित शब्दों में निर्धारणः -

" 23. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, निम्नलिखित बिंदु

इस अपील वाद में विचार के लिए उत्पन्न होता हैः

2. क्या वादी द्वारा घोषित राहत की मांग की गई है कि ट्रस्ट की बोर्ड बैठक 25.04.2012 पर आयोजित की गई और 30.07.2012 क्या वे अवैध हैं और वादी के लिए बाध्यकारी नहीं हैं?

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. क्या वादी अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत के हकदार हैं जो प्रतिवादी 1 से 9 को दूसरे वादी को पीएसजी की शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासियों में से एक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देता है।

नारायणसामी नायडू?

4. क्या प्रतिवादी 1 से 9 को पीएसजी की शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 वें प्रतिवादी को नियुक्त करने से रोका जाना है

नारायणसामी नायडू?

5. क्या प्रतिवादी 1 से 9 को नीति लेने से रोक दिया गया है

बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय?

6.2. 2 . शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्तमान अपीलार्थी को नियुक्त करने से अन्य प्रतिवादियों को रोकने के संबंध में उपरोक्त बिंदु संख्या 4

श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू का बिंदु संख्या में शामिल बुनियादी प्रश्नों के साथ सह-संबंध था। 1 और 3 अर्थात, प्रथम वादी श्री वी. राजन का इस्तीफा देने के बाद संस्थापक न्यासी के चयन के लिए मतदान करने का अधिकार और अन्य प्रतिवादियों को द्वितीय वादी श्री नरेन राजन को संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त करने का जनादेश। उस संदर्भ में, मूल आवश्यकता दो प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की क्षमता और योग्यता की थी -

संस्थापक न्यासी का उक्त कार्यालय अर्थात द्वितीय वादी श्री नरेन राजन

और वर्तमान अपीलार्थी श्री वी. प्रकाश; और उस संबंध में, यह सभी पक्षों का विशिष्ट मामला था कि वे दोनों उक्त पद के लिए विचार किए जाने के योग्य थे। मामले का यह पहलू बार-बार था

उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया, जैसा कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 30 और 32 से देखा जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः -

" 30. वादी और 10 वीं की योग्यता के संबंध में

प्रतिवादी चिंतित हैं, यह स्वीकार किया जाता है कि वादी और 10 वें प्रतिवादी दोनों संस्थापक न्यासी के पद के लिए विचार किए जाने के योग्य हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ

उस पद को धारण करने से अयोग्यता। उत्तरदाता 1 से 3 और 10 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार और विद्वान विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों के अनुसार, हालांकि पहला वादी योग्य था, अपना इस्तीफा जमा करने के बाद, उसे अयोग्यता का सामना करना पड़ा और इसलिए, वह संस्थापक

न्यासी के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं था या दूसरे शब्दों में, उसने संस्थापक का चुनाव करने के लिए अपने इस्तीफे के कारण अपनी क्षमता खो दी।

न्यासी और केवल वे व्यक्ति, जो इस पद को धारण करने के लिए सक्षम हैं, अध्याय 4 (डी) (1) के खंड [सी] के अनुसार संस्थापक न्यासी का चुनाव करने या चयन करने के लिए अपने बीच से किसी एक को चुनने के हकदार हैं।

वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

और इसलिए, पहले वादी को छोड़कर, जिसने योग्यता खो दी,

वे व्यक्ति जो कार्यालय में विचार किए जाने के पात्र हैं

अन्य न्यासियों, अर्थात् वादी 2 को निर्देश देने में सही था 4 उनमें से एक का चयन करना और जैसा कि उनके बीच आम सहमति थी

उन्हें।

***

***

***

उत्तरदाता 1 से 3 और 10 की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने योग्यताओं के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा

अध्याय IV (बी) और भरने की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित जैसा कि अध्याय IV (D) में बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई नहीं है

विवाद है कि वादी और 10 वां प्रतिवादी योग्य हैं

इस्तीफे के कारण और इस तरह, अपनी क्षमता खो दी भविष्य में पद संभालें। "

6.2. 3 . श्री की योग्यता के बारे में मूल प्रश्न के संबंध में

वी. राजन को निर्वाचक मंडल का सदस्य होने के लिए, उच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से इस निष्कर्ष को वापस कर दिया कि वह सक्षम थे और उनकी एकमात्र अयोग्यता थी उसे छोड़ने के बाद संस्थापक न्यासी के पद के लिए चुनाव लड़ने का था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दूसरे वादी श्री नरेन राजन के चयन पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी।

प्रथम वादी के मत के आधार पर और परिणामस्वरूप, अन्य प्रतिवादियों को श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू की शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्तमान अपीलार्थी (उक्त मुकदमे में 10वें प्रतिवादी) को नियुक्त करने से रोक दिया।

6.3 . अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाने का प्रयास किया

इस न्यायालय के समक्ष न्यायालय लेकिन, अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली याचिका,

2014 का एसएलपी (सी) संख्या 26503 होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा 26.09.2014 पर खारिज कर दिया गया था।

6.4 . इस प्रकार, उक्त श्री नरेन राजन को नियुक्त किया गया

संस्थापक न्यासी, परिवार की पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

6.5 . दुर्भाग्य से आई. डी. 1 पर श्री नरेन राजन से उनकी मुलाकात हुई।

एक सड़क दुर्घटना के कारण उनकी असामयिक मृत्यु के साथ।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमेबाजी और प्रासंगिक घटनाओं का दूसरा दौर

7. 21.05.2015 पर नरेन राजन की मृत्यु के बाद, फिर से रिक्ति

अपीलकर्ता वी. प्रकाश ने जिला मुन्सिफ न्यायालय, कोयम्बटूर के समक्ष 2015 का ओ. एस. संख्या 1225 के रूप में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्हें एक संस्थापक न्यासी के रूप में मान्यता दी गई क्योंकि अन्य जीवित पुरुष सदस्य श्री वी. राजन को संस्थापक न्यासी का पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जैसा कि मुकदमे के पहले दौर में माना गया था।

8. जबकि अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त मुकदमा लंबित था, 2015 की ओ. एस. संख्या 1952 में एक अलग मुकदमा, श्री जी. रंगास्वामी (प्रतिवादी) द्वारा दायर किया गया था।

सं. 9) रिक्तियों को भरने के मामले में न्यास के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करना। उसमें निषेधाज्ञा प्रदान करने वाला आदेश और

2010 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 665 में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिस्पर्धा करने वाले न्यासियों द्वारा इस मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया गया था और उन्होंने 2015 की ओ. एस. संख्या 1952 की शिकायत को खारिज करने की मांग की थी। इसमें,

अपीलार्थी ने 2015 का एम. पी. सं. 3 दायर किया और उक्त श्री वी. राजन ने खुद को शामिल करने के लिए 2015 का एम. पी. सं. 4 दायर किया।

8.1 . उक्त पुनरीक्षण याचिका और उसमें दायर अंतर्वर्ती आवेदनों पर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एक साथ विचार किया था

दिनांकित 26.06.2015। इस क्रम में कई दिलचस्प विशेषताएं हैं, जैसे इन्फ्रा को देखा।

8.2 . उक्त पुनरीक्षण याचिका वर्तमान प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी।

ट्रस्ट अपने प्रबंध न्यासी श्री एल. गोपालकृष्णन के माध्यम से, जो स्वयं याचिकाकर्ता संख्या 2 के रूप में शामिल हुए और एक अन्य संस्थापक न्यासी श्री जी. आर. कार्तिकेयन और एक निर्वाचित न्यासी श्री डी.

संशोधनवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील (यहाँ उत्तरदाताओं का विरोध करने वाले) और उक्त श्री वी. राजन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भी। उच्च न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, यहां तक कि वादी की ओर से दिए गए बयान को दर्ज करते हुए कि वह मुकदमा वापस ले लेगा, पक्षकारों की अन्य दलीलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी और उक्त श्री वी. राजन की ओर से संबंधित दावे किए गए थे। 5 उक्त संशोधनवादी प्रतिवादी संख्या हैं। 1 यहाँ 4 तक।

वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

संस्थापक न्यासी पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू शाखा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपीलार्थी की ओर से यह दावा किया गया कि श्री वी. राजन के इस्तीफे से अयोग्य ठहराए जाने के कारण वह अकेले ही इस रिक्त स्थान के लिए सक्षम थे। इन दलीलों का खंडन करते हुए, श्री वी. राजन की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता अमेरिका का ग्रीन कार्ड धारक था और शायद ही कभी भारत आ रहा था और उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संशोधनवादियों की ओर से लिया गया रुख यह था कि वे इसके आधार पर एक व्यक्ति का चयन करेंगे दो प्रतिद्वंद्वी दावेदारों यानी अपीलार्थी और श्री वी. राजन की योग्यता।

8.4 . उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि श्री पी. एस. जी. की पंक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी की नियुक्ति से संबंधित मुद्दा।

नारायणस्वामी नायडू मूल मुद्दा था जो न्यायालय होगा।

साथ ही, न्यासी मंडल को श्री वी. राजन और अपीलार्थी वी. प्रकाश के दावों पर विचार करने और फिर श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू परिवार से संस्थापक न्यासी की नियुक्ति के संबंध में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। 8.6 . अपीलार्थी ने एसएलपी (सी) सं. में उच्च न्यायालय के इस निर्णय को चुनौती दी। 23316-23318 2015 का, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 04.01.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि मुख्य मुकदमा ही वापस ले लिया गया था।

8.7 . तत्पश्चात, उक्त श्री वी. राजन को संस्थापक न्यासी की रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया और उन्होंने अपना कार्य जारी रखा।

हालाँकि, जैसा कि प्रोविडेंस में होगा, उक्त श्री वी. राजन का भी 21.06.2017 पर निधन हो गया।

इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी और विषय-वस्तु का तीसरा दौर

9. 21.06.2017 पर श्री वी. राजन की मृत्यु के साथ, अपीलार्थी

पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू के परिवार की शाखा से एकमात्र जीवित पुरुष सदस्य बने रहे और 30.06.2017 दिनांकित पत्र द्वारा, उन्होंने संस्थापक ट्रस्टी के रूप में सेवा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इसके बाद, 01.08.2017 पर, बोर्ड [2022] 18 एस. सी. आर. द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण मांगे गए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संस्थापक न्यासी के रूप में पद धारण करने के लिए उनकी योग्यताओं के संदर्भ में न्यासियों की संख्या। दिनांकित 10.08.2017 के विस्तृत पत्र में, अपीलार्थी ने

2012 की ओ. एस. सं. 631 और 2013 की ए. एस. सं. 178 में न्यास के नोटिस के लिए निर्णय और डिक्री।

9.1 . इसके बाद, आई. डी. 1 पर बोर्ड ने यह कहते हुए जवाब दिया कि 2013 की ए. एस. संख्या 178 में उच्च न्यायालय ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था।

संस्थापक न्यासी की योग्यता के बारे में पता लगाना। अपीलार्थी से आगे भारत में अपने स्थायी निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था क्योंकि बोर्ड का विचार था कि एस. ओ. ए. ने अनिवार्य किया था कि संस्थापक न्यासी के पद के लिए योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को मद्रास में "स्थायी रूप से" रहना होगा।

9.2 . इसके बाद, अपीलार्थी ने दिनांकित एक और विस्तृत पत्र भेजा

22.11.2017 , यह कहते हुए कि उनकी योग्यता के बारे में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट था और वह अपने भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, संपत्ति के दस्तावेजों, बैंक खातों और स्वयं बोर्ड द्वारा पिछली नियुक्ति के आलोक में निवास की आवश्यकता के मामले में भी विधिवत योग्य था।

9.3 . पुनः, अपीलार्थी को दिनांकित एक पत्र प्राप्त हुआ

16.02.2018 कि बोर्ड ने 2015 के ओ. एस. सं. 1221 में लंबित मुकदमे पर ध्यान दिया था, जहाँ मामला विचाराधीन था। हालाँकि, 22.02.2018 पर, अपीलार्थी ने बोर्ड को सूचित किया कि उसने पहले ही 02.02.2018 पर मुकदमा वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर कर दिया था, जो 2018 का आई. ए. नंबर 264 था, जिसमें नई कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता थी।

10. यहां तक कि जब उपरोक्त सभी पत्राचार से वांछित परिणाम नहीं निकला, तब भी अपीलार्थी ने 2018 की ओ. एस. संख्या 160 में प्रधान जिला न्यायाधीश, कोयम्बटूर के समक्ष इस घोषणा की राहत के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया कि वह एस. ओ. ए. के अनुसार संस्थापक न्यासी के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार है और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी।

10.1 . 2018 के आई. ए. सं. 272 का निर्णय करते हुए, 2018 के ओ. एस. सं. 160 में वाद की अस्वीकृति के लिए प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं द्वारा दायर, परीक्षण

न्यायालय ने अपने दिनांक 27.04.2018 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-ट्रस्ट को पहले से प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ अपीलार्थी की पात्रता तय करने का निर्देश दिया। हालाँकि यह निर्णय मुकदमे के परिणाम के अधीन किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 27.04.2018 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः -

. पहले से ही पक्षों के बीच मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका में वादी की नागरिकता के संबंध में था। याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ को वादी द्वारा यहाँ समझाया गया था।

अतः यह न्यायालय वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

I.A.272/2018 में याचिकाकर्ता को निर्देश देता है कि वह इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता के संबंध में पहले से प्रस्तुत दस्तावेज़ के साथ और वादी द्वारा दिनांकित 22.11.2017 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ वादी की पात्रता पर निर्णय ले और 04.06.2018 पर इस न्यायालय को रिपोर्ट करे। उस समय तक, याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय इस मुकदमे के परिणाम के अधीन है। इसके अलावा वादी पहले दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।

कल (28.04.2018)। "

10.2 . तदनुसार, न्यासी मंडल ने 27.07.2018 पर आयोजित अपनी बैठक में अपीलार्थी के दावे पर विचार किया और जांच के बाद दस्तावेजों ने संस्थापक न्यासी के कार्यालय में उनके दावे को इस विचार पर खारिज कर दिया कि संस्थापक न्यासी एस. ओ. ए. के अनुसार मद्रास प्रेसीडेंसी में स्थायी रूप से रह रहा होना चाहिए और अपीलकर्ता, यू. एस. ए. का ग्रीन कार्ड धारक होने के नाते, वंशानुगत न्यासी के पद के लिए योग्य नहीं था।

एस. ओ. ए. का अध्याय IV खंड (बी) (ए) (ii)। 21.08.2018 पर, न्यासी मंडल के निर्णय को बैठक के कार्यवृत्त के साथ एक ज्ञापन दाखिल करके विचारण न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

10.3. इस प्रकार, संचार और कार्यवाही के पूर्ण चक्र में जाने के बाद, मामला निर्णय के लिए निचली अदालत के समक्ष था।

11. वादी-अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि न्यासियों का आचरण दुर्भावनापूर्ण और अनुचित रहा है

उन्हें एक संस्थापक ट्रस्टी होने के योग्य मानते हुए और "स्थायी" निवास की आवश्यकता को जोड़ते हुए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि

न्यासी मंडल ने एस. ओ. ए. के आदेश का उल्लंघन किया था जिसमें संस्थापक न्यासी के पद में रिक्तियों को भरने के लिए 60 दिनों की बाहरी सीमा प्रदान की गई थी। अपीलार्थी ने आगे कहा कि पिछली मुकदमेबाजी के आलोक में जिसमें संबंधित न्यायालयों ने उन्हें विधिवत योग्य घोषित किया था और एक संस्थापक न्यासी के रूप में उनकी पिछली नियुक्ति भी, न्यासी मंडल उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में उचित नहीं था। अपीलार्थी ने यह भी कहा कि 'ग्रीन कार्ड' केवल एक अमेरिकी नागरिक के साथ उनकी शादी के आधार पर उन्हें दिया गया विशेषाधिकार था और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं था। उसने आगे भारत का निवासी और नागरिक होने का दावा किया और अपने दावे के समर्थन में अपना भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य दस्तावेज जमा किए।

11.1 . दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या। 1-8 प्रस्तुत किया कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था और प्रतिवाद करके अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया

कि 2012 के ओ. एस. संख्या 631 में दिनांकित 16.04.2013 का निर्णय [2022] 18 एस. सी. आर. की योग्यता के मुद्दे पर किसी भी निर्णय के बिना, पुनर्गठन के मुद्दों पर था।

अपीलार्थी। उक्त निर्णय के पृष्ठ 10 का संदर्भ दिया गया था जो निम्नानुसार थाः -

" दोनों पक्षों ने उन मुद्दों को छोड़ने का फैसला किया (अयोग्यता पर मुद्दे)

श्री नरेन राजन और श्री प्रकाश) के बारे में जैसा कि एकत्र किया जा सकता था

बहस के दौरान। तदनुसार, मुद्दे हैं

नीचे के रूप में रीकास्ट करें "।

11.1. 1 . यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 2013 के ए. एस. सं. 178 में,

उच्च न्यायालय ने योग्यता के मुद्दे पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया और केवल आज्ञाकारी आदेश के माध्यम से कहा कि श्री नरेन राजन और अपीलार्थी संस्थापक के पद के लिए विचार किए जाने के योग्य थे

ट्रस्टी। जहां तक 18.04.2013 पर अपीलार्थी की पिछली नियुक्ति का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि नियुक्ति कोयंबटूर, तमिलनाडु में अपीलार्थी के स्थायी निवास के प्रमाण पर सशर्त थी और अपीलार्थी यू. एस. ए. का ग्रीन कार्ड धारक होने के कारण एस. ओ. ए. के अध्याय IV खंड (बी) के अनुसार संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं था।

11.2 . पक्षकारों की संबंधित दलीलों पर विचार करने के बाद,

ट्रायल कोर्ट ने बारह मुद्दों को तैयार किया। वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मुद्दों को निम्नानुसार देखा जा सकता हैः -

" 1. क्या वादी के पास इसके लिए आवश्यक योग्यता है योजना के संदर्भ में प्रथम प्रतिवादी के संस्थापक न्यासी का पद

प्रथम प्रतिवादियों के प्रशासन का?

2. क्या प्रतिवादियों का दावा है कि वादी है

प्रथम के संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य घोषित प्रतिवादी के रूप में वह संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रीन कार्ड धारक है

अमेरिका I संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायी निवासी है? 3. क्या प्रतिवादियों की दलीलें कि मुकदमा दायर किया गया है

दिनांकित प्रशासन की योजना में गैर-मौजूद प्रावधान पर

29-02-1936 प्रधानाचार्य के न्यायालय द्वारा बनाए गए O.S.No.145/1935 में

कोयंबटूर के अधीनस्थ न्यायाधीश सही हैं या नहीं?

***

***

***

8. क्या वादी संस्थापक के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार है

के कारण हुई रिक्ति में प्रथम प्रतिवादी ट्रस्ट के ट्रस्टी

Mr.V.Rajan की मृत्यु?

9. क्या वादी अनुरोध के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार है

के लिए?

PRAKASH @G. N. V. PRAKASH v. एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

10. क्या वादी घोषणा की राहत का हकदार है, यह घोषणा करते हुए कि 1 के न्यासी मंडल की बैठकें प्रतिवादी, श्री V.Rajan की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों के बाद, बिना किसी सूचना के, वादी की भागीदारी के बिना, अमान्य है?

11.3 . साक्ष्य लेने और पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय अपने दिनांकित निर्णय में प्रासंगिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा।

. 2020 .

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

12. पिछले मुकदमों के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के विस्तृत विश्लेषण के बाद, निचली अदालत ने इस सवाल का फैसला कियाअपीलार्थी के पक्ष में संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाना। v विचारण न्यायालय की सुसंगत टिप्पणियों और निष्कर्षों को उसके निर्णय के पैराग्राफ 40 और 44 में लाभप्रद माना जा सकता है।

निम्नानुसार लिखा गयाः -

" 40. Ex.A.2 O.S.No.631/2012 में पारित निर्णय और डिक्री है। उक्त मुकदमे में, वादी के चाचा V.Rajan और उसका बेटा वादी हैं। उक्त मुकदमा प्रथम प्रतिवादी न्यास के न्यासी मंडल की बैठक की वैधता और अन्य राहतों को चुनौती देने वाली घोषणा की राहत के लिए दायर किया गया था। उक्त मुकदमे में वादी को 10 वें प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यहां प्रतिवादियों को भी प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उक्त मुकदमे को अंततः बोर्ड के निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया था

न्यासी जो दूसरे वादी (नरेन) में से किसी एक को चुनेंगे।

राजन) और 10 वें प्रतिवादी (V.Prakash @G. N. V.Prakash, यहाँ वादी) ने देर की शाखा का प्रतिनिधित्व किया। बोर्ड में पीएसजी नारायणसामी नायडू एसओए की भावना के अनुरूप हैं। उक्त मुकदमे में हालांकि राजन और नरेन राजन ने वादी की कथित अयोग्यता के बारे में दलील दी, लेकिन बाद में उन्होंने उक्त याचिका पर जोर नहीं दिया। वास्तव में, दोनों पक्ष उन मुद्दों को खुला छोड़ने का विकल्प चुनते हैं। प्रथम प्रतिवादी न्यास या किसी अन्य प्रतिवादी ने वादी की कथित अयोग्यता के बारे में कोई याचिका नहीं उठाई। भले ही मुद्दों को पुनर्गठित किया गया था, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, वादी की योग्यता को संतुष्ट करने के बाद, उक्त निर्णय पर पहुंचे।

***

***

44. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि वादी की संस्थापक न्यासी के रूप में नियुक्त होने की योग्यता की न्यायिक कार्यवाही द्वारा पुष्टि की गई है। उक्त न्यायिक कार्यवाही अपनी अंतिम स्थिति में पहुँच गई। पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में, प्रतिवादियों ने वादी की योग्यता के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई। इसके अलावा, Ex.A.2 में पारित निर्णय को देखते हुए, वादी को न्यासी मंडल के रूप में चुना गया था और वादी ने प्रभावी रूप से 8-04-2013 से 26-06-2015 तक न्यासी मंडल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग लिया था और पहले प्रतिवादी के लाभ और विकास में अपने ज्ञान का योगदान दिया है।

भरोसा रखें। उक्त तथ्य दस्तावेजों Ex.A.37 से Ex.A.47 के माध्यम से साबित किया गया है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने Ex.A.9 और Ex.A.10 का अवलोकन किया है, जिसमें प्रथम प्रतिवादी न्यास ने वादी की कथित अयोग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा, वादी से पीडब्लू. 1 के रूप में पूछताछ की गई और अदालत के समक्ष बयान दिया गया कि वह एक भारतीय नागरिक है और कोयंबटूर का निवासी है।

12.1 . 'ग्रीन कार्ड' के मुद्दे पर, ट्रायल कोर्ट ने यू. एस. ए. के संबंधित कानून और साहित्य का अध्ययन किया, जिसमें स्थायी

निवासी कार्ड को आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (आई. एन. ए.) के तहत अप्रवासियों को जारी किए गए एक दस्तावेज के रूप में इस बात के प्रमाण के रूप में वर्णित किया गया है कि धारक को संयुक्त राज्य में स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। ग्रीन कार्ड धारकों को वैध स्थायी निवासी (एल. पी. आर.) के रूप में जाना जाता है। वे दूसरे देश के नागरिक हैं लेकिन अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ' 'ग्रीन कार्ड' केवल एक विशेषाधिकार था और यह भारतीय नागरिकता को स्वतः समाप्त नहीं करता था। विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार होंगेः -

" 46. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पीडब्लू. 1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वर्ष 2010 में ही वह अमेरिका से स्थायी रूप से भारत आ गए थे। इसके अलावा वे वर्ष 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि वह भारत में एक बार में छह महीने से अधिक नहीं रह सकते। उसने बयान दिया है कि उसके पास भारतीय पासपोर्ट है और उसने यूएसए पासपोर्ट के लिए आवेदन या प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि भले ही वादी अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसने इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा सही बताया गया है, 'ग्रीन कार्ड' एक विशेषाधिकार है। यह अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। यह अकेले अमेरिकी राज्यों के नागरिकों को सम्मानित नहीं करता है। यदि कार्ड धारक उल्लंघन करता है, तो वह ग्रीन कार्ड धारक का दर्जा खो देगा।

PRAKASH @G. N. V. PRAKASH v. एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

कोई भी स्वेच्छा से कार्ड छोड़ सकता है। इसलिए, केवल इसलिए कि वादी ग्रीन कार्ड धारक है, उसकी भारतीय नागरिकता नहीं होगी

स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दिया।

***

***

***

48. इसलिए, यह न्यायालय मानता है कि ग्रीन कार्ड रखना एक विशेषाधिकार है।

ग्रीन कार्ड धारक स्वचालित रूप से अपनी नागरिकता नहीं खोता है।

उसकी मातृभूमि। इसलिए, यह न्यायालय फैसला करता है कि वादी के पास है ग्रीन कार्ड, एक संस्थापक ट्रस्टी होने के लिए एक बाधा नहीं होगी।

12.2 . विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के होने के अधिकार को स्वीकार किया

अध्याय VI खंड (4) (सी) (1) के अनुसार संस्थापक न्यासी के रूप में नामित

एस. ओ. ए., पी. एस. जी. के एकमात्र जीवित वयस्क पुरुष सदस्य के रूप में।

यनस्वामी नायडू परिवार की शाखा और निषेधाज्ञा प्रदान की

प्रतिवादियों को अपीलार्थी के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकना

अंडर ट्रस्टी। विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और निर्देशित कियाः -

" 53. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मानता है कि वादी का अधिकार है

प्रथम प्रतिवादी न्यास के संस्थापक न्यासी के रूप में मान्यता प्राप्त करना

Mr.V.Rajan के निधन के कारण हुई रिक्ति में। तब से,

1 सेंट प्रतिवादी ट्रस्ट ने एस. ओ. ए. के अनुसार कार्य नहीं किया है, वादी है

घोषणा की राहत का हकदार जिसे संस्थापक को मान्यता दी जानी है के कारण हुई रिक्ति में प्रथम प्रतिवादी ट्रस्ट के ट्रस्टी

Mr.V.Rajan की मृत्यु, परिणामस्वरूप, वादी का हकदार है

प्रतिवादियों को किसी भी तरह से रोकने वाला स्थायी निषेधाज्ञा

के संस्थापक न्यासी के रूप में वादी के अधिकार में हस्तक्षेप करना

1 सेंट प्रतिवादी ट्रस्ट और अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में एक के रूप में

प्रथम प्रतिवादी न्यास के संस्थापक न्यासी।

***

***

***

56. मान लीजिए, उस समय वर्ष 1936 में बनाई गई योजना

परिवहन की सुविधाएँ बहुत सीमित थीं। आजकल के कारण

वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की प्रगति और मानव विकास

संसाधन, दुनिया एक वैश्विक गाँव में सिकुड़ गई है। मान लीजिए,

वादी की पत्नी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक है। वादी ने सेवा की

संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय। हवाई परिवहन में विकास के कारण

वह एक-दो दिन के भीतर अमेरिका से भारत की यात्रा कर सकता है। इसकी वजह से

कोविड-19 महामारी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, बोर्ड

बैठकें आदि, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं।

वास्तव में, इस मामले में भी, दोनों पक्षों के वकीलों ने [2022] 18 एस. सी. आर. के माध्यम से बहस की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वीडियो कॉन्फ्रेंस। उपरोक्त से संकेत मिलता है कि भले ही वादी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है, वह संस्थापक न्यासी के रूप में अपने कार्य का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकता है और यहां तक कि वह भी इसमें बहुत अच्छी तरह से भाग ले सकता है।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से बोर्ड की बैठकें और अन्य बैठकें। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अध्याय IV खंड (बी) (ii) कि किसी को मद्रास प्रेसीडेंसी में रहना है, वर्तमान दिनों के लिए अनुचित है और उक्त प्रावधान के लिए उपयुक्त होना आवश्यक है।

संशोधन। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि Ex.A.1। प्रशासन की योजना में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। वादी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि अकेले प्रथम प्रतिवादी ट्रस्ट एस. ओ. ए. में संशोधन करने के लिए कदम उठाने का हकदार है। जब तक वादी

न्यासी मंडल के रूप में नियुक्त, उसके पास प्रशासन की योजना में संशोधन करने के लिए कदम उठाने की कोई शक्ति नहीं है। शक्ति या अधिकार

प्रशासन की योजना में संशोधन केवल पहले प्रतिवादी के पास है

भरोसा रखें।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

13. विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

2020 की ए. एस. संख्या 978 में प्रथम अपील का तरीका।

13.1 . प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के लिए व्यापक रूप से सीखा हुआ परामर्श

एस. ओ. ए. के गैर-मौजूदा प्रावधान के आधार पर अपीलार्थी को ट्रस्टीशिप के लिए योग्य घोषित करने में विचारण न्यायालय के फैसले पर हमला किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि एस. ओ. ए. के अध्याय IV खंड (बी) (ए) (II) के अनुसार, संस्थापक न्यासी के पद के लिए योग्यताओं में से एक यह थी कि व्यक्ति

संबंधित को मद्रास प्रेसीडेंसी के क्षेत्र के भीतर निवासी होना चाहिए और न्यासी द्वारा किए जाने वाले व्यापक पर्यवेक्षण कार्य के संदर्भ में "वह मद्रास प्रेसीडेंसी में रहता है" अभिव्यक्तियों के विशिष्ट अर्थ और तर्क थे। 13.2 . इसके विपरीत, वर्तमान अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत इसके विरुद्ध भी लागू होता है -

सह-प्रतिवादी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अपीलार्थी की पूर्व नियुक्ति, जब मुकदमेबाजी के पहले दौर के दौरान श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू के वंशजों में से किसी एक को चुनने के लिए न्यासी मंडल को बुलाया गया था, आचरण द्वारा बहिष्कार के संचालन और प्रत्यर्थियों को अपना रुख बदलने से रोकने के लिए पर्याप्त उदाहरण था।

PRAKASH @G. N. V. PRAKASH v. एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

13.3 . पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार करने के बाद,

न्यायालय ने पाया कि संस्थापक न्यासी की योग्यता

मद्रास प्रेसीडेंसी में निवास करना विवाद की जड़ थी; अन्यथा ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान मुकदमे में न्यायिक रोक के सिद्धांतों को लागू करने में गलती की। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः -

" 12. अपील में विचार करने का मुद्दा यह है कि क्या वादी ने निचली अदालत के समक्ष साबित किया कि वह मद्रास के भीतर रहता है।

प्रेसीडेंसी, में ट्रस्टीशिप के पद के लिए योग्य होना

अपीलार्थी न्यास?

13. " मद्रास प्रेसीडेंसी "जब वर्ष 1936 में ब्रिटिश भारत काल के दौरान बनाई गई योजना में वर्तमान दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य और उड़ीसा का हिस्सा शामिल था। स्वतंत्रता के बाद और भाषाई आधार पर राज्यों की सीमा कोयंबटूर शहर जहां अपीलकर्ता न्यास स्थित है, "तमिलनाडु राज्य" के अंतर्गत आता है।

पहले इसे "मद्रास राज्य" के नाम से जाना जाता था।

14. जो भी हो, इस मुद्दे को कम किया जाता है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रीन कार्ड धारक किसी व्यक्ति के अर्थ में आएगा।

मद्रास प्रेसीडेंसी में रहते हैं। हालाँकि इस मुद्दे को 2012 के मुकदमे के पहले दौर (यानी) O.S.No.631 में तैयार किया गया था, लेकिन उक्त मुद्दे को हटा दिया गया था और इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया गया था, इसलिए पहले की मुकदमेबाजी में कोई भी अवलोकन और निष्कर्ष, यह तैयार किए गए मुद्दे पर नहीं था। 2012 के आई. डी. 1 में विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर विज्ञापन नहीं देगा। इसलिए, क्या वादी वर्तमान मुकदमे में मद्रास प्रेसीडेंसी में रहता है, सी. पी. सी. की धारा 11 से प्रभावित नहीं होगा, इस अदालत का विचार है कि संस्थापक ट्रस्टी के रूप में वादी की पहले की नियुक्ति भी मुकदमेबाजी के बीच में की गई थी और दोनों पक्षों के लिए यह साबित करने का कोई अवसर नहीं था कि क्या उसे मंजूरी दी गई थी। कार्ड एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देगा, इसलिए इस मामले में रोक का सिद्धांत भी लागू नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि मुकदमे का निर्णय न्यायपालिका के मुद्दे या निष्कासन पर नहीं किया जाना चाहिए था। ऊपर के रूप में मुकदमे की रखरखाव के संबंध में कानूनी आपत्तियों को निपटाना, योग्यता का बिंदु

प्रति योजना अब रखे गए साक्ष्य के अधिकार में परीक्षण किया गया है।

13.4 . इसके बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायी निवासी था, जैसा कि उसके ग्रीन कार्ड से पता चलता है। आधार कार्ड रखने के लिए उसमें उल्लिखित अपने निवास पते की धारणा को बढ़ाने के लिए और वह [2022] 18 एस. सी. आर. में एक आयकर निर्धारिती थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, हालांकि, 2014 से 2019 की अवधि के लिए क्रमशः Ex.A24 और Ex.A25 पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिए गए पत्रों के अनुसार, अपीलकर्ता आधे से अधिक समय के लिए भारत से बाहर था, भले ही उसने वर्ष 2010 में स्थायी रूप से भारत में स्थानांतरित होने का आरोप लगाया था। इन तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि एस. ओ. ए. की भावना के अनुसार, वादी अपीलार्थी मद्रास प्रेसीडेंसी में रहने के लिए अपनी दुश्मनी साबित करने में विफल रहा है और उसे निवासी नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः -

" 21. क्रॉस परीक्षा में अपनी खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार, उन्होंने यह बयान दिया है कि वर्ष 2010 में ही वह स्थायी रूप से भारत आ गए थे। जबकि, 2014 से 2019 की अवधि के लिए Ex.A.24 और Ex.A.25 आधे से अधिक समय से भारत में नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उसे विदेश नहीं जाना चाहिए और उसे हमेशा देश के भीतर रहना चाहिए।

मद्रास की प्रेसीडेंसी, जब योग्यता निर्धारित की गई थी, हालांकि एक सदी पुरानी थी, जब तक कि इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक प्रावधान की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। ट्रस्टीशिप का दावा करने वाला वादी इस बात का सबूत देने में विफल रहा कि वह मद्रास प्रेसीडेंसी में रहता है और उसे मद्रास में रहने की दुश्मनी बनी हुई है।

अध्यक्ष पद।

22. वादी के पास अभी भी अपना ग्रीन कार्ड है, ज्यादातर समय वह अपने स्वयं के साक्ष्य के अनुसार भी भारत में नहीं रह रहा था। इससे पहले बोर्ड की बैठक में भाग लेने के उनके आचरण के आधार पर, जब वे ट्रस्टी थे, हालांकि यह धारणा देंगे कि बैठक आयोजित होने पर वे शारीरिक रूप से उपलब्ध होंगे, लेकिन जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है और वादी वकील द्वारा भरोसा किया गया है, भारत में रहने के लिए व्यक्ति की दुश्मनी महत्वपूर्ण है और केवल दुश्मनी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह वह मामला है जिसमें वादी का कहना है कि वह अमेरिका से स्थायी रूप से भारत आ गया है और 2010 से भारत में रह रहा है, लेकिन उसके अपने साक्ष्य से संकेत मिलता है कि वह भारत में रहने की अवधि का केवल 50 प्रतिशत से भी कम समय था और उसके पास ग्रीन कार्ड है, जो दर्शाता है कि वह अमेरिका का स्थायी निवासी है। उन्होंने अपना ग्रीन कार्ड नहीं छोड़ा है। निवासी होने के लिए उसकी दुश्मनी यू. एस. ए. को स्पष्ट किया गया है। जिरह में उन्होंने कहा कि उनका अपना ग्रीन कार्ड छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। शपथ पर उनकी स्वीकृति और साथ ही उनके आचरण से यह नहीं पता चलता है कि वे न तो वास्तव में मद्रास प्रेसीडेंसी के भीतर रहते हैं और न ही उन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी के भीतर रहने की कोई दुश्मनी है। एक व्यक्ति के एनिमस का अनुमान लगाया जा सकता है PRAKASH @G. N. V. PRAKASH v.

एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

केवल आचरण द्वारा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था।

ग्रीन कार्ड या विदेश में व्यवसाय और खाता है

किसी विदेशी देश में, लेकिन जब वह ट्रस्टीशिप रखना चाहता है

एक न्यास, जो अनिवार्य करता है कि न्यासी को मद्रास के भीतर रहना चाहिए

राष्ट्रपति पद और यदि वह संतोषजनक रूप से यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि वह

मद्रास प्रेसीडेंसी के भीतर रहता है, यह अनिवार्य नहीं है

अन्य न्यासियों को न्यास में शामिल करने के लिए, इसके विपरीत प्रशासन की योजना का प्रावधान।

***

***

***

26. प्रत्यर्थी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

गंभीरता से तर्क देगा कि प्रतिवादी/वादी एक निवासी है

आय कर अधिनियम के तहत परिभाषित भारत के लिए और वह करने के लिए सभी दुश्मनी है

भारत में स्थायी रूप से रहें। हालांकि इस तरह का बयान दिया गया है

तर्कों का क्रम, प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

उक्त कथन का समर्थन नहीं करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है,

मद्रास प्रेसीडेंसी में स्थायी रूप से रहने का इरादा मजबूत नहीं है अपने आचरण से। शपथ पर उनका बयान कि 2010 से वे हैं

भारत में स्थायी रूप से रहना भी अपने ही दस्तावेज़ द्वारा गलत साबित किया गया है।

Ex.A.24 और Ex.A.25 "।

13.5 . उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि निचली अदालत ने दिया था

वैज्ञानिक के प्रकाश में "रहता है" शब्द की व्याख्या

सीमेंट लेकिन, इस तरह के परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं थी

स्थलीय कार्यवाहियाँ और जो केवल उचित तरीके से ही की जा सकती थीं

एस. ओ. ए. में खंड का उल्लेख करें। उच्च न्यायालय ने कहा -

" 24. लिखित दस्तावेज़ में पाए जाने वाले कोई भी शब्द जो इसके विपरीत नहीं हैं कानून को जिस तरह से कहा गया है उसे समझा जाना चाहिए और पूरक नहीं होना चाहिए

जब तक कि कोई अस्पष्टता न हो। यहाँ एक खंड है जो कहता है कि संस्थापक

जिस शब्द को परिभाषित किया गया है उसे समझा जाना चाहिए और प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है शब्द के साथ-रहना-या-रहने के लिए शत्रुता-या अधिवास या नागरिकता।

25. ट्रायल कोर्ट के जज ने सोचा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से

निवास शब्द को अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए

100 साल पहले इसे कैसे समझा जाता था। मुझे डर है, कुछ साल बाद,

कुछ अन्य न्यायाधीश न्यासी के पद को सीमित करने के बारे में सोच सकते हैं।

पुरुष सदस्य के लिए लैंगिक न्याय के खिलाफ है इसलिए इसे [2022] 18 एस. सी. आर. के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

महिला भी क्योंकि सामान्य खंड अधिनियम में वह उसे शामिल करता है, पुरुषों में महिलाएं शामिल हैं इसलिए पुरुष में महिला भी शामिल है। यह न्यायाधीशों की राय हो सकती है, लेकिन न्यास का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को खंड में संशोधन करने के लिए आगे आना चाहिए, यदि उन्हें लगता है कि यह पुराना है या सुविधाजनक नहीं है। प्रशासन की योजना के खंड में उचित संशोधन के बिना, जो कि अदालत के आदेश के तहत बनाई गई योजना का परिणाम है, योजना की शर्तों में हेरफेर नहीं किया जा सकता है।

13.6 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता एस. ओ. ए. के तहत निर्धारित योग्यताओं के अनुसार मद्रास प्रेसीडेंसी के क्षेत्र में नहीं रह रहा था और इसलिए, संस्थापक ट्रस्टी के पद के लिए पात्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित और निष्कर्ष निकालाः -

" 28. शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखते हुए-अब तक, प्रतिवादी/वादी द्वारा प्रस्तुत और भरोसा किए गए रिकॉर्ड उसे मद्रास में रहने वाले व्यक्ति के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। अध्यक्ष पद। हालाँकि, अयोग्यता नहीं, यह हमेशा प्रतिवादी/वादी के लिए न्यासी मंडल के समक्ष रखने के लिए खुला है, यह दिखाने के लिए कि वह मद्रास प्रेसीडेंसी के भीतर रहता है और न्यासी पद धारण करने के लिए योग्य है।

29. उक्त कारणों से, इस न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत के फैसले में कहा गया है कि वादी/प्रतिवादी मद्रास के भीतर रहता है।

प्रेसीडेंसी और ट्रस्टी के पद पर बने रहने के लिए योग्य होना उनकी अपनी स्वीकृति और अन्य साक्ष्यों के विपरीत है, इसलिए इसे दरकिनार किया जा सकता है। तदनुसार, इस अपील मुक़दमे की अनुमति है। निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, संबंधित सिविल विविध याचिका

वह भी बंद है। कोई लागत नहीं। "

14. वादी-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इस तरह यह मामला संस्थापक न्यासी के पद पर अपीलार्थी के दावे की वैधता से संबंधित मूल प्रश्न के निर्धारण के लिए हमारे समक्ष है।

अन्य दावेदार

15. मुख्य प्रतिद्वंद्वी दलों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुति पर ध्यान देने से पहले, संबंधित कुछ तथ्यों पर ध्यान देना उचित होगा - प्रत्यर्थी न्यास में संस्थापक न्यासी के उक्त कार्यालय के दो अन्य दावेदार।

वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम। एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

15.1 . अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को 01.07.2021 पर विचार के लिए लिया गया था जब इसकी ओर से सूचित किया गया था

प्रतिवादियों का विरोध करते हुए कि श्री नारायण कार्तिकेयन को प्रश्नगत रिक्ति पर 14.05.2021 पर संस्थापक ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। दी गई परिस्थितियों में, वादी-अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में उक्त नव नियुक्त न्यासी में शामिल होने की अनुमति दी गई थी और नोटिस जारी करते समय न्यासियों की संरचना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

15.2 . कथित प्रत्यर्थी संख्या 10 कोई और नहीं बल्कि प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री जी. आर. कार्तिकेयन का पुत्र है। उनके ससुर और भाई।

16. एस. एल. पी. के लंबित रहने के दौरान, डॉ. डी. पद्मनाभन की ओर से हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन (2021 का आई. ए. संख्या 80383) भी दायर किया गया, जो अपने अधिकार का दावा करेगा। न्यासी के रूप में नियुक्त। आवेदक ने अन्य मौजूदा न्यासियों के साथ प्रतिवादी संख्या 10 के संबंधों की ओर इशारा किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 10 की नियुक्ति एस. ओ. ए. की भावना के खिलाफ थी। आवेदक ने आगे कहा है कि उनके दिवंगत पिता प्रो. जीआर.

दामोदरन दोनों कॉलेजों के संस्थापक प्राचार्य थे और उन्होंने ट्रस्ट की गतिविधियों के विकास में योगदान दिया, विशेष रूप से शिक्षा के सशक्तिकरण से संबंधित; और उनके दिवंगत पिता को इस पद का दर्जा प्राप्त था। 1972-1978 से न्यासी का प्रबंधन करना। आवेदक प्रस्तुत करता है कि वह ट्रस्ट के विकास में योगदान करने के उद्देश्य से इसका हिस्सा बनना चाहता है ताकि उसके पिता द्वारा शुरू किए गए संस्थान और अधिक ऊंचाइयों को छू सकें।

17. जहाँ तक उपर्युक्त दो दावेदारों का संबंध है, यह देखने के लिए पर्याप्त है कि विचाराधीन पद पर उनके संबंधित दावे निम्नलिखित हो सकते हैं -

विचार के लिए केवल तभी लिया जाता है जब अपीलार्थी का दावा अस्वीकार कर दिया जाता है और वह इस पद को धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। ऐसा कहने के बाद, हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के संदर्भ में मामले के मूल पर लौट सकते हैं।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

18. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत [2022] 18 एस. सी. आर. के फैसले को गलत तरीके से उलट दिया है।

जिसके तहत अपीलार्थी को एस. ओ. ए. के अनुसार 'निवास' की आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता था। प्रत्यर्थी न्यास के पिछले आचरण के साथ-साथ पिछली न्यायिक कार्यवाही पर ध्यान देने में विचारण न्यायालय को उचित ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने ग्रीन कार्ड को केवल एक विशेषाधिकार के रूप में माना, न कि अपीलार्थी के खिलाफ काम करने वाली रोक के रूप में, ताकि उसे संस्थापक ट्रस्टी के रूप में नियुक्त होने से रोका जा सके।

18.1 . अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि न्यायनिर्णयन और निरोध के सिद्धांत महान हैं।

हाथ में मामले में महत्व, और इन सिद्धांतों पर दलीलों को उच्च न्यायालय द्वारा तुरंत खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। समर्थन में, इस न्यायालय के कई फैसलों पर निर्भरता रखी गई है।

18.2 . विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेगा कि निचली अदालत के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह स्वतंत्र रूप से साबित किया गया था कि वह था

विचाराधीन क्षेत्र का निवासी और वहां रहने के लिए आवश्यक शत्रुता भी थी। उनका आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, बैंक प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनके निवास और दुश्मनी को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं, और उन्हें संस्थापक ट्रस्टी का पद धारण करने के लिए भी योग्य बनाते हैं।

18.3 . विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि किसी भी शारीरिक अवधि

उपस्थिति, चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, निवास का गठन कर सकती है बशर्ते कि यह अस्थायी, क्षणिक या आकस्मिक न हो, जैसा कि इस न्यायालय ने योगेश भारद्वाज बनाम में कहा था। यू. पी. और अन्य का राज्य। : (1990) 3 एससीसी 355। तथ्य यह है कि वह अपीलार्थी 2009 में सेवानिवृत्त हुआ, 2010 में भारत चला गया और उसने आज तक यू. एस. ए. की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है, जो विधिवत रूप से उसकी दुश्मनी को साबित करता है। इन विवादों के समर्थन में, कई निर्णयों पर भरोसा किया जाता है, जिनमें इंदर सिंह अहलूवालिया बनाम शामिल हैं। प्रेम चंद जैन और अन्य। : 1993 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12, और एम. एस. टी. जागीर कौर और अन्र। वी. जसवंत सिंहः (1964) 2 एससीआर 73.

अतः, उन्हें एस. ओ. ए. के अनुसार संस्थापक न्यासी नियुक्त किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि योग्यता पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में बोर्ड द्वारा अपीलार्थी पर कभी विवाद नहीं किया गया था। बोर्ड द्वारा अचानक रुख में बदलाव किया गया, जो दुर्भावनापूर्ण और अनुचित है।

20. इसके विपरीत, प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील संख्या। 1-4 और 10 ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को सही ढंग से दरकिनार कर दिया है। रेस जुडिकाटा के बार का इसमें कोई अनुप्रयोग नहीं है

वर्तमान मामला क्योंकि अपीलार्थी की योग्यता कभी भी सीधे मुद्दे में नहीं रही थी और मुकदमे के पिछले दौर में कभी भी गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया था। इसके अलावा, रोक का बार प्रत्यर्थी के खिलाफ काम नहीं कर सकता है-ट्रस्ट क्योंकि अपीलार्थी की पिछली नियुक्ति कोयम्बटूर में स्थायी स्थानांतरण के प्रमाण को प्रस्तुत करने की शर्त पर थी। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि भारत में निवास के लिए ग्रीन कार्ड का मुद्दा विशुद्ध रूप से कानून का सवाल है और इसलिए, वर्तमान मामले में रोक के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।

20.1 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी है

एस. ओ. ए. के अध्याय IV खंड (बी) के अनुसार संस्थापक न्यासी होने के लिए योग्य नहीं है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है और इस कार्ड के धारक एक वर्ष से अधिक समय तक अमेरिका से बाहर नहीं रह सकते हैं।

पुनः प्रवेश अनुमति के बिना। अपीलार्थी ने स्वयं अपनी जिरह में अपना ग्रीन कार्ड नहीं छोड़ने के अपने इरादे के बारे में गवाही दी है। वह यू. एस. ए. में एक पेंशनभोगी हैं। ; ड्राइविंग लाइसेंस है; और यू. एस. ए. में एक आयकर निर्धारिती है, इसलिए अपीलार्थी भारत का निवासी होने की अपनी दुश्मनी को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। 21. उत्तरदाता सं. के लिए वरिष्ठ वकील सीखा। 6-8 समानांतर रेखाओं में प्रस्तुतियाँ भी की हैं और तर्क दिया है कि का सिद्धांत

रेज़ जुडिकाटा को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि योग्यता का मुद्दा गुण-दोष के आधार पर तय नहीं किया गया था और पहले के मुकदमे में, प्रत्यर्थी-ट्रस्ट (2012 के ओएस नंबर 631 में प्रतिवादी नंबर 1) और अपीलार्थी (प्रतिवादी नंबर 10) के बीच हितों का कोई टकराव नहीं था। इस प्रकार, सह-प्रतिवादियों के बीच न्यायनिर्णयक आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें, जैसा कि निर्धारित किया गया है। मखीजा निर्माण और इंजीनियरिंग में इस न्यायालय द्वारा। (पी) लिमिटेड बनाम। इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य। : (2005) 6 एस. सी. सी. 304 को पूरा नहीं किया गया है और वर्तमान मुकदमा खारिज होने योग्य है।

22. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, हम स्पष्ट रूप से

यह विचार कि यह अपील सफल होने के योग्य है और विचारण न्यायालय की डिक्री बहाल होने के योग्य है।

अपीलार्थी के दावे को निचली अदालत ने सही ढंग से स्वीकार किया

23. विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के तर्क और तर्क पर एक व्यापक नज़र हमें यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि उच्च न्यायालय [2022] 18 एस. सी. आर.

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मामले को पूरी तरह से गलत कोण से देखा है और प्रासंगिक बातों को नजरअंदाज करते हुए अप्रासंगिक विचारों पर आगे बढ़े हैं। कारक और भौतिक विचार। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने चुना है

प्रशासन की योजना में ट्रस्टीशिप के लिए योग्यता में आवासीय आवश्यकता को सख्त भौतिक उपस्थिति के रूप में, संदर्भ के अनुसार और उद्देश्य के अनुसार।

24. वादी-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भारी साक्ष्य

भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के रूप में और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के संदर्भ में 'निवासी' की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणन के आधार पर भारत में उनके आयकर आकलन को उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के भारत में रहने के दिनों की संख्या को गिनने और फिर यह सवाल करने के बाद कि प्रमाण पत्र यह नहीं दिखा रहे थे कि वह कितने दिनों से मद्रास प्रेसीडेंसी में थे, कम मूल्यवान माना गया है। उस संबंध में भी, उच्च न्यायालय ने यद्यपि श्रीमती जागीर कौर (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख किया, लेकिन उसमें अनुपात पर ध्यान देने में विफल रहा। अपीलार्थी के भारत में संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे, जिसमें आवासीय संपत्ति भी शामिल है; जिनके भारत में बैंक खाते हैं; आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्य से निवासी के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है, इन सभी को उच्च न्यायालय ने भारत में रहने के दिनों की मात्र गिनती द्वारा दरकिनार कर दिया है। सम्मान के साथ, हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं। 25. विवादित फैसले के पैराग्राफ 21 में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि योग्यता निर्धारित करने वाले प्रावधानों की भावना

सम्मान किया जाना चाहिए। इस संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय पहली जगह में न्यास के गठन की भावना और इसकी प्रशासन की योजना पर बुनियादी बातों से चूक गया है। जैसा कि देखा गया है, ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1926 में श्री पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू के बेटों द्वारा की गई थी और ट्रस्ट का नाम वास्तव में "मेसर्स" रखा गया था। पी. एस. गोविंदस्वामी एंड संस चैरिटी। प्रशासन की योजना में, नौ न्यासियों की परिकल्पना करते हुए, विशेष रूप से श्री पी. एस. गोविंदस्वामी के चार पुत्रों को संस्थापक न्यासियों के रूप में प्रदान किया गया था। संस्थापक न्यासी के कार्यालय को वंशानुगत होने की अवधारणा के साथ एक वंशानुगत बनाया गया है। प्रत्येक संस्थापक न्यासी की पंक्ति में न्यासी। 01.01.1994 तक, अपीलार्थी के पिता श्री जी. एन. वेंकटपति अपने पिता श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू के निधन के बाद एक संस्थापक ट्रस्टी बने रहे।

मूल संस्थापक न्यासी, जिनकी वर्ष 1938 में मृत्यु हो गई। वंशानुगत न्यासीत्व, प्रशासन की योजना की भावना में, अन्य मूल संस्थापक न्यासियों के संबंध में भी प्रतिवादी वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम के रूप में जारी रहा है।

एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

नं. 2 , 3 और 4 क्रमशः श्री पी. एस. वेंकटपति, श्री पी. रंगास्वामी नायडू और श्री पी. एस. गंगा नायडू की शाखाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू की शाखा में लौटते हुए, जिनकी वर्ष 1938 में मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र श्री जी. एन. वेंकटपति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यह देखा जाता है कि श्री जी. एन. वेंकटपति की मृत्यु के बाद, उनके भाई श्री वी. राजन को इस शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्थापक न्यासी के रूप में लिया गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, आंतरिक विवाद हुए थे, जो सामने आए

श्री वी. राजन के इस्तीफे के बाद और जिसके कारण मुकदमेबाजी हुई और

25.1 . न्यास प्रशासन योजना की भावना को देखते हुए, हमारे विचार में, यह योजना का ही उपहास होगा यदि अपीलार्थी की उपस्थिति में, संस्थापक की इस शाखा का प्रतिनिधित्व न्यासी को रद्द कर दिया जाता है या पद किसी और को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बेशक, यह तब हो सकता है जब यह संदेह से परे स्थापित हो जाए कि अपीलार्थी ने एक या अधिक अयोग्यताएं वहन की हैं। इस सूट में, कोई और नहीं

मद्रास प्रेसीडेंसी में निवास की इच्छा को छोड़कर अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा अयोग्यता का आरोप लगाया गया है। इस सुझाव को अपीलार्थी ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके और विशिष्ट दावे के साथ प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया है कि वह 2010 से भारत में रह रहा था। हमारे विचार में, प्रशासन की योजना की भावना के दृष्टिकोण से मामले की जांच करते समय, संस्थापक न्यासी की शाखा के प्रतिनिधित्व की अवधारणा का सम्मान करने की आवश्यकता है और इस संबंध में, अपीलार्थी जैसे वंशज के दावे को भारत में रहने के दिनों की संख्या की मात्र गिनती से हल्के में नहीं लिया जा सकता है, जबकि भारत में रहने की उनकी पसंद को दर्शाने वाले अन्य सभी लक्षणों और कारकों की अनदेखी की जा सकती है।

25.2 . जैसा कि इस न्यायालय ने श्रीमती जागीर कौर (उपरोक्त) में कहा, अंततः, प्रत्येक मामले में निवास का प्रश्न तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन 'लाइव' शब्द का अर्थ आमतौर पर उड़ान यात्रा या आकस्मिक प्रवास से कुछ अधिक होता है। अपीलार्थी जो भारत में संपत्ति और बैंक खाते रखने और आधार कार्ड रखने के अलावा लगातार भारत में रहा है, उसे कम से कम आकस्मिक रूप से या पारगमन पर्यटक के रूप में भारत आने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है।

26. उच्च न्यायालय ने एक सवाल उठाया है कि प्रमाण पत्र इस बात का खुलासा नहीं करते हैं कि सात वर्षों में 979 दिनों में से कितने दिनों में अपीलार्थी [2022] 18 एस. सी. आर.

मद्रास प्रेसीडेंसी में थे? पुनः, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण हमारी सराहना नहीं करता है। यह नहीं दिखाया गया है कि क्या अपीलार्थी विचाराधीन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था ताकि न्यास के प्रशासन और प्रबंधन में प्रभावी ढंग से भाग ले सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल ग्रीन कार्ड को धारण करना वर्तमान मामले में निर्णायक नहीं माना जा सकता है। 27. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की इस न्यायोचित टिप्पणी पर प्रतिकूल टिप्पणी की है कि वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए 'लाइव' शब्द का वह अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए जैसा कि एक सदी पहले समझा गया था। इस संबंध में, उच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणियां फिर से दस्तावेज़ के निर्माण के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं।

27.1 . यदि शाब्दिक निर्माण का नियम शाब्दिक रूप से लागू किया जाता है, तो

"मद्रास प्रेसीडेंसी" के भीतर रहने के बारे में प्रश्नगत शब्द को ही इस सरल कारण से निरर्थक माना जाएगा कि भौगोलिक रूप से या

जनसांख्यिकीय रूप से, आज तक ऐसा कोई स्थान मौजूद नहीं है जिसे "मद्रास प्रेसीडेंसी" कहा जा सके। जाहिर है, ऐसा दृष्टिकोण

यह गलत होगा और वर्ष 1926 में दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करने और वर्ष 1936 में प्रशासन की योजना तैयार करने के समय जिस क्षेत्र को "मद्रास प्रेसीडेंसी" के रूप में जाना जाता था, उस पर ध्यान दिया जाएगा और जो भी क्षेत्र अब उक्त पूर्ववर्ती "मद्रास प्रेसीडेंसी" क्षेत्र के लिए संदर्भित है, वह प्रासंगिक होगा और निवास उक्त क्षेत्र के संदर्भ में होना चाहिए। वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक बिंदु है - कि "मद्रास प्रेसीडेंसी" अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ में अर्थ नहीं लगाया जा रहा है और इसका अर्थ इसके वर्तमान अर्थ के संदर्भ में लगाया गया है।

27.2 . उपरोक्त से संकेत लेते हुए, जब हम इसके अर्थ को समझने के लिए "लाइव" क्रिया को लेते हैं और इसके संदर्भ में तात्पर्य लेते हैं

दस्तावेज़ का उद्देश्य, इसके वर्तमान अर्थ और अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बेशक, यदि किसी व्यक्ति ने अपना निवास छोड़ दिया है और किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से बस गया है, तो उसकी शर्त की पूर्ति के बारे में सवाल उठ सकता है, लेकिन साथ ही, "रहता है" अभिव्यक्ति को शाब्दिक अर्थ नहीं दिया जा सकता है जैसे कि वादी अपीलार्थी जैसे व्यक्ति के पास निवास के कई स्थान हैं, जो किसी विशेष स्थान पर स्थायी रूप से स्थित नहीं होने पर विचाराधीन विलेख के उद्देश्य के लिए अयोग्यता का सामना करेगा।

28. इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं देते हुए, विशेष रूप से एस. ओ. ए. की शर्तों के निर्माण के संबंध में, हम थोड़ा और आगे देख सकते हैं। कर्मों या कानूनों में शब्द और अभिव्यक्तियाँ अधिमानतः उनके प्रासंगिक और समकालीन वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम प्रदान किए जाते हैं।

एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अर्थ। निर्माण की इस प्रक्रिया में, शब्दों और अभिव्यक्तियों को जीवाश्म अवशेषों के रूप में नहीं देखा जाता है; बल्कि वे जैविक चरित्र को बनाए रखते हैं और सभी परिवेश से अपना अर्थ लेते हैं। उस मामले के लिए, "लाइव्स" जैसे एक विशेष शब्द की व्याख्या के समय या अवधि के संदर्भ में कई अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं; और अर्थ लगभग 100 साल पहले समझे गए अर्थों से अलग हो सकते हैं। जब किसी दस्तावेज़ में किसी विशेष शब्द या अभिव्यक्ति को संचालित और लागू किया जाना है, तो सार्थक और उद्देश्यपूर्ण निर्माण के लिए प्रेजेंटी में उपलब्ध सभी प्रासंगिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बेशक, उस अर्थ को वास्तविक इरादे और उद्देश्य के लिए हिंसा नहीं करना चाहिए। 6

29. अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, उच्च न्यायालय ने भी

विवादित निर्णय के पैराग्राफ 25 में एक प्रस्ताव का सुझाव देने की सीमा तक चला गया, जो कम से कम कहने के लिए, तर्क के लिए खड़ा नहीं है। द. उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सजा या शब्दों का निर्माण वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में किया जाना था, तो कुछ समय बाद कुछ न्यायाधीश सोच सकते हैं कि ट्रस्टीशिप को पुरुष सदस्य तक सीमित करना लैंगिक न्याय के खिलाफ है और इसे महिला को भी शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। सम्मान के साथ, हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं। उच्च न्यायालय द्वारा सुझाई गई परिकल्पना दस्तावेज़ की अवधि को बदलने की प्रक्रिया की है। हाथ में सवाल एक विशेष अभिव्यक्ति को एक तार्किक, प्रासंगिक और समकालीन अर्थ निर्धारित करने का है। किसी दस्तावेज़ की अवधि को बदलना एक बात है और इसे किसी विशेष अभिव्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण अर्थ देने की प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। निर्माण के सही नियमों में, शब्दों को हमेशा वह अर्थ सौंपा जाता है जो उनके संदर्भ के साथ मेल खाता है, जबकि यह आश्वासन देते हुए कि

अर्थ उद्देश्य की पूर्ति करता है।

29.1 . भौतिक निवास की आवश्यकताएँ, तेजी से

संचार और परिवहन के साधनों की प्रगति नहीं हो सकती है

" 6 प्रवर्तन निदेशालय के मामले में v. दीपक महाजनः (1994) 3 एस. सी. सी. 440 इस न्यायालय ने बताया है कि शब्द निष्क्रिय कारक या गणितीय प्रतीक नहीं हैं ताकि हर समय एक ही मूल्य और एक ही अर्थ रख सकें। इस अदालत ने कहा है,

" 93. इस संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद का उल्लेख करना उचित है -

द लूम ऑफ लैंग्वेज नामक पुस्तक का अध्याय 4:

" शब्द निष्क्रिय कारक नहीं हैं जिनका अर्थ एक ही है और हर समय और सभी संदर्भों में समान मूल्य रखते हैं। वे टकसाल के सिक्कों की तरह मानक आकार और आकार में नहीं आते हैं, न ही वे पूरी दुनिया को यह आदेश देते हैं कि उनका मतलब केवल इतना ही होगा, न अधिक और न ही कम। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के माध्यम से, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है जिसे कोई भी प्रारूपक पूरी तरह से काट नहीं सकता है। यह गणितीय प्रतीक के रूप में उपयोग करने से इनकार करता है।

विशेष रूप से तब अनदेखी की जाती है जब दस्तावेज़ में 'निवास' शब्द का उद्देश्य होता है।

विचाराधीन ट्रस्ट के मामलों में प्रभावी ढंग से भागीदारी सुनिश्चित करना है, जब भी आवश्यकता हो। निचली अदालत का अपनी टिप्पणियों में इरादा केवल इतना ही था कि वर्तमान प्रगति को देखते हुए, निवास का शाब्दिक अर्थ, हर दिन और हर पल वास्तविक भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होना सही नहीं है। हमें विचारण न्यायालय के विचारों और निष्कर्षों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है।

रेस जुडिकाटा और एस्टोपेल के प्रश्न

32. पूर्वगामी चर्चा और विश्लेषण के बाद, हम एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं को अपने ग्रीन कार्ड और विचाराधीन क्षेत्र में स्थायी निवास की इच्छा के संदर्भ में संस्थापक ट्रस्टी का पद धारण करने के लिए वादी-अपीलार्थी की पात्रता पर सवाल उठाने में अन्यायपूर्ण किया गया था। यह निचली अदालत का निष्कर्ष था जिसे हमें मामले में शामिल मुख्य मुद्दे के गुण-दोष पर उच्च न्यायालय के विपरीत निष्कर्ष को दरकिनार करते हुए बहाल करने में कोई संकोच नहीं है। यह स्थिति होने के कारण, न्यायिक निर्णय और निरोध के संबंध में पक्षों के अन्य तर्कों में जाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि, हमारे विचार में, अपीलार्थी इन सिद्धांतों के संचालन से जो परिणाम प्राप्त करना चाहता है, वह वर्तमान मामले में यहां दिए गए साक्ष्य के संदर्भ में प्राप्त किया गया है। इस प्रकार, हम वादी-अपीलार्थी द्वारा उठाए गए निरोध और न्यायिक निर्णय के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

उत्तरदाताओं। वादी-अपीलार्थी अनिवार्य रूप से इस तथ्य के संदर्भ में बहिष्कार के सिद्धांत का आह्वान करना चाहता है कि 2012 के ओ. एस. संख्या 631 में दिनांकित 16.04.2013 के निर्णय के बाद, उसे सर्वसम्मति से 18.04.2013 पर संस्थापक ट्रस्टी के रूप में चुना गया था। निरंतर संस्थापक न्यासियों का अपीलार्थी को अपनी शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल करने का उक्त निर्णय अनिवार्य रूप से निचली अदालत के आदेश के अनुसार था, लेकिन अंततः निचली अदालत का निर्णय खुद को कायम नहीं रख सका और उच्च न्यायालय द्वारा 2013 के ए. एस. संख्या 178 में अपने निर्णय में इसे उलट दिया गया। उस स्थिति में, संस्थापक न्यासियों का 18.04.2013 पर अपीलार्थी को शामिल करने का उक्त निर्णय उनके खिलाफ अवरोध के रूप में काम नहीं कर सकता था। 32.2 . हालाँकि, हमारी प्रथम दृष्टया राय में, जो अवरोध के प्रश्न पर लागू होता है, वह सीधे रेस वी. प्रकाश @जी. एन. वी. प्रकाश बनाम के प्रश्न पर लागू नहीं होगा।

एम/एस। पी. एस. गोविंदस्वामी नायडू एंड संस चैरिटीज [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

न्यायपालिका। श्री पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक न्यासी के पद के लिए प्रतिद्वंद्वी दावेदारों का अधिकार एक था

2013 के ए. एस. सं. 178 में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया अपने दिनांकित 30.06.2014 निर्णय में कि इसके बारे में कोई विवाद नहीं था

प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की योग्यता जिसमें वर्तमान अपीलार्थी शामिल था

उक्त मामले में 10 वें प्रतिवादी के रूप में उनकी क्षमता में। वर्तमान प्रतिस्पर्धा प्रतिवादी वास्तव में उक्त कार्यवाही के पक्षकार थे और विशेष रूप से

न्यास इसमें एक पक्ष था और इसका विधिवत प्रतिनिधित्व प्रबंध न्यासी द्वारा किया जाता था। जब योग्यता या अयोग्यता का सवाल हो सकता है

उठाया गया था और वर्तमान प्रतियोगी उत्तरदाताओं द्वारा नहीं उठाया गया था, यह

यह कहना मुश्किल है कि रेस जुडिकाटा के सिद्धांत और किसी भी तरह से,

धारा IV के स्पष्टीकरण के संदर्भ में रचनात्मक न्यायपालिका

11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू नहीं होगी। फिर भी हम

वादी-अपीलार्थी ने, हमारे विचार में, स्पष्ट रूप से स्थापित किया है तथ्य यह है कि वह वास्तव में योग्य था और कथित से पीड़ित नहीं था

अयोग्यता।

निष्कर्ष 33.

किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, हम संतुष्ट हैं कि

उच्च न्यायालय अस्थिर बना हुआ है। हमारे विचार में, निचली अदालत ने अभिलेख पर साक्ष्य का सही विश्लेषण किया और एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे

संस्थापक न्यासी के पद पर अपीलार्थी के दावे को कायम रखने में

प्रत्यर्थी-श्री पी. एस. जी. की शाखा के प्रतिनिधि के रूप में न्यास नारायणस्वामी नायडू।

34. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और

अनुमति दी गई; विवादित निर्णय और दिनांकित 04.03.2021 आदेश को अलग कर दिया गया है;

और परीक्षण न्यायालय का दिनांकित निर्णय और डिक्री 12.10.2020 हैं

" उक्त धारा 11 और इसका स्पष्टीकरण IV निम्नानुसार हैः

" 11.न्याय करें। - कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या मुद्दे का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला उन्हीं पक्षों के बीच पूर्व वाद में, या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत दावा करता है, ऐसे बाद के वाद या उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है, और उस न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

***

***

***

स्पष्टीकरण IV-कोई भी मामला जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता है और जिसे बनाया जाना चाहिए था, यह माना जाएगा कि

इस तरह के मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा है। "[2022] 18 एस. सी. आर.

डी रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता पी. एस. जी. नारायणस्वामी नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी को रखने का हकदार होगा।हमारे निष्कर्षों और निष्कर्षों का निरंतर परिणाम,

2021 के आई. ए. सं. 80383 के आवेदक को निरर्थक बना दिया गया है।

पर भी अस्वीकार कर दिया जाता है।

आई. ई. एस. पूरे समय अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी गई।

अमरेंद्र कुमार

या सामल, एलसीआरए)